

वन्य प्राणी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता।

न्य जीव-जन्तुओं पर्यावरण व इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाये रखने के लिए प्रयुक्त होता है जो प्रकृतिक आवास में निवास करते हैं, जैसे हाथी शेर, गैंडा, हिरण इत्यादि। वन्य जीवों की पूर्ण सुरक्षा तथा विलुप्त होने वाले जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापक रूप से। वन्य जीव, प्रकृति में पाये जाने वाले सभी जीव -जन्तुओं एवं पेड़ -पौधों की जातियों देखु प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में मनव के द्वारा ऐसे कारण उत्पन्न कर दिये गये हैं, जिससे वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। वन्य जीवों की पूर्ण सुरक्षा तथा विलुप्त होने वाले जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत कई प्रकार के जंगलों जीवों और पशु-पक्षियों का घर है। जीवों और पशु-पक्षियों का संरक्षण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के पशु पक्षियों को अपने प्राकृतिक निवास स्थान में देखना आनन्दायक है व जंगली जीवों को देखने पर्यटक आते हैं। यहाँ जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। भारत के वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की रचना की गयी है। जूलाऊंजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया जैसी प्रमुख संस्थाओं तथा भारतीय वन्य जीवन संस्थान, भारतीय वन्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ईंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी तथा सलीम अली स्कूल ऑफ आर्सिन्थोलोजी जैसे संस्थान वन्य जीवन संबंधी शिक्षा और अनुसंधान कार्य में लगे हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को प्रमाणित सुरक्षा प्रदान करना है। अपितु वन्य जीवन तथा वन - वृक्षों को सुरक्षित रखना है संभवतः विष्व में सर्वप्रथम, लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व सप्ताह अशोक ने वन्य प्राणियों के संरक्षण में अभयारण्यों की स्थापना की बनारास के पास सारानाथ में एक मुळ उद्यान में भगवान बुद्ध के प्रवचनों का उल्लेख भी मिलता है हिन्दू धर्म का तो मूल आधार ही यह है कि आत्मा समस्त प्राणियों में विचरण करते हुए मानव-योनि, और फिर मोक्ष-योनि में जाती है। सिन्धु-घाटी की सभ्यता (2500 ईसा पूर्व) में हाथी, शेर, गैंडा, नीलगाय, बंदर, कालाहिरण, गरुण तथा बाज पक्षियों की मूर्तियां पाई गई हैं। वन्यप्राणि इतनी विविधता एवं चमत्कारिक रूपों में पाये जाते हैं कि उनके देखने मात्र से ही सौंदर्य सुख प्राप्त होता है। अग्रेजी शासन काल में भी यद्यपि वन्य प्राणी संरक्षण को कुछ अधिकारियों और राजा महाराजाओं ने महत्व तो दिया लेकिन फिर भी वन्य प्राणियों के विकास में वे सफल नहीं हुए। बल्कि इसके विपरीत द्वितीय विष्व बुद्ध के आसपास का समय तो वन और वन्य प्राणियों के विनाश का सर्वाधिक काला समय सिद्ध हुआ। धीरे-धीरे वैज्ञानिकों और जनसाधारण ने वनों



१२व वन्यजीव दिवस

संजय गोस्वामी

वर्तमान में भारत में 98 राष्ट्रीय उद्यान एवं 510 अभ्यारण्य हैं। यही संरक्षित क्षेत्र है जो पूरे देश में फैला हुआ है। वन्य प्राणी के बहल संरक्षित क्षेत्रों में ही नहीं है, वरन् संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें वन क्षेत्र व अन्य क्षेत्र आता हैं। वन्य प्राणियों की समस्ति का बहुत से कारणों से हास होने के कारण तत्कालीन समय में प्रवृत्त कानूनों ने प्रभावी व कठोर प्रावधान न होने के कारण वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियमित किया गया जिसमें अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने के प्रावधान किये गये। फलस्वरूप संरक्षित क्षेत्र का निर्माण व विकास हुआ।

वन्य प्राणी संरक्षण

अधिनियम 1972

अधिनियमित किया गया
जिसमें अभ्यारण्य एवं
राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने
के प्रावधान किये गये।
प्रकल्पकाल संगठित भौति का

ਫਲਾਖਲਪ ਸਹਾਇਤ ਕੇਤੇ ਕਾ
ਜਿਮਾਣ ਵ ਵਿਕਾਸ ਹੁਆ।



ओर वन्य प्राणियों के महत्व को समझना प्रारम्भ किया और जन आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप विष के अनेक देखें में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यासण्यों की स्थापना होने लगी दिष्ट के संरक्षित क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यासण्य आते हैं। अनेक वन्य प्राणियों का उपयोग पशुधन के रूप में किया जाता है। भारतवर्ष में लगभग 20 मिलियन लोगों का जीवनयापन पशुधन पर निर्भर करता है। पशुधन से छोटे किसानों का लगभग 16 प्रतिशत और मज़ोले किसानों का 14 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। पशुधन 2/3 गाँव की आबादी का जीवन यापन का सहारा बनती है। यह भारत वर्ष में 8.8 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करती है। पशुधन 4.11 प्रतिशत जी.डी.पी. तथा 25.60 प्रतिशत कृषि के जी.डी.पी. में योगदान करती है। भारत वर्ष में कुल पशुधन 512 मिलियन है जिसमें कि भैंस 105.3 मिलियन है जो कि भारतीय किसानों के आमदनी का नायाब श्रेत्र है। केवल मत्सयोद्योग से ही विष्वभर में लगभग 1100 लाख टन भोजन प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इस भोजन में प्रोटीन की प्रतिष्ठत भी अधिक होती है। भारत जैसे देश में शेरों की तादाद दिनोंदिन घटती जा रही है। लाख प्रवासीों के बाद भी इनकी तादाद बढ़ाने के मामले में सरकार दावे कुछ भी करे, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी है नितीजतन हमारा पर्यावरण भयंकर से प्रभावित हुआ और स्तनधारी ही नहीं, पक्षियों की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गईं और सैकड़ों विलुप्ति के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं विकास संस्थान के विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों का अध्ययन खुलासा करता है कि पूरी दुनिया में मानवीय गतिविधियां

व्यापक स्तर पर पर्यावरण विनाश कर रही हैं और धरती में असाधारण खतरनाक दर से नष्ट हो रही है। यह सबसे अधिक चिंतनीय है। इससे धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता पर हर्षसावाल खड़े हो गए हैं। हालत यह है कि स्तनधारियों पर पक्षियों और सरीसृप परिवार की 10 से 30 फीसदी प्रजातियों के ऊपर विलुप्ति की तलावर लटक रही है। मिलेनियम ईको-सिस्टम एसेसमेंट के अनुसार बीते 50 सालों में आदर्मने ने अपनी जरूरतों की पूर्ति और लालच की खारिता नारिस्थितिकी तंत्र का इतनी तेजी से विनाश किया है कि जिसकी प्राचीन इतिहास में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। 1945 के बाद, धरती का जितन हिस्सा खेती के समतल किया गया, वनों का कटान किया गया उतना 18वीं औले 19वीं शताब्दी में मिलकर भी नहीं हुआ। इसका परिणाम जैव विविधता के भारी अपरिवर्तनीय नुकसान के रूप में सामने आया। ऐसे उदाहरण भी सामने आएं जब प्रकृति पर लगे घावों के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में अभत्पूर्व बदलाव आएं और भयावह स्थिति का सामना करन पड़ा। असल में वन्य जीवों की प्रजातियों को सबसे ज्यादा यहि किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो वह है वन्य जीवों का तस्करी और उससे होने वाला भारी मुनाफा। असलियत यह भी है कि आज विश्व में वन्य जीव तस्करी का अवैध कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ डॉलर से अधिक है। यह कारोबार अब मात्रक पदार्थों के कारोबार से कुछ कम और हथियारों के कारोबार के करीब पहुँच चुका है। सौंदर्य प्रसाधनों, औषधि निर्माण तो कहीं धरों की सजावट

के लिए वन्य जीव अंगों की बेतहाशा मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता मुँहमांगा दाम इसके प्रमुख कारण हैं। सरकार चाहे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए, प्रोजेक्ट एलाफेंट या आने वाले समय में प्रोजेक्ट गैंडा चलाए, जब तक देश का हर नागरिक वन्य प्राणियों के अंग, उनकी खाल का उपयोग न करने का संकल्प नहीं लेगा और लोगों में जागृति पैदा करने का अभियान नहीं चलाया जाएगा, भारत जैसे देश में तब तक कानूनों के जरिए वन्य प्राणी संरक्षण एक सपना ही रहेगा इसके लिए गठित टास्क फोर्स कहां तक अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएगी, यह तो भविष्य ही बताएगा। इन्हें कौन बचाएगा? विश्व वन्य जीव कोश के अनुसार साइबेरियाई सारस, भालू, काले हिरण, बाघ और गैंडे को यदि तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो ये जीव दुनिया से ही खत्म हो जाएंगे। आज देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार स्तनधारियों की 16, पक्षियों की 5 और सपीसृष्ट वर्ग की 3 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। 81 स्तनधारी जीवों तथा 38 पक्षी व 18 सरीसृष्ट स्थल चर-जलचरों को तत्काल संरक्षण प्रदान किए जाने की जरूरत है साँस को तो लग्जे इंतजार के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में जगह मिली। उसके संरक्षण के लिए मात्र एक संरक्षित अभ्यारण्य है, जो विक्रमशिला के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी में लगभग 50 किलोमीटर के इलाके में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक फैला है।

वर्तमान में भारत में 98 राष्ट्रीय उद्यान एवं 510 अभ्यारण्य हैं। यही संरक्षित क्षेत्र है जो पूरे देश में फैला हुआ है। वन्य प्राणी के बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें वन क्षेत्र व अन्य क्षेत्र आता हैं वन्य प्राणियों की समष्टि का बहुत से कारणों से द्वास होने के कारण तत्कालीन समय में प्रवृत्त कानूनों में प्रभावी व कठोर प्रावधान न होने के कारण वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियमित किया गया जिसमें अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने के प्रावधान किये गये। फलस्वरूप संरक्षित क्षेत्र का निर्माण व विकास हुआ यह संरक्षित क्षेत्र वन्य प्राणियों की नर्सरी के रूप में संधारित किये हैं, जिससे नर्सरी में उत्पन्न वन्य प्राणी अपनी संख्या में वृद्धि करके संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्रों के माध्यम से अन्य वन क्षेत्रों में फौलें व उनका विकास करे व प्रजनन द्वारा संख्या में वृद्धि करें। इन संरक्षित क्षेत्रों में बाघ परियोजनायें प्रचलित हैं। बाघ वन्य जीवों के पारिस्थितिकीय पिरामिड के खिलाफ स्थापित वन्य प्राणी है यदि खिलाफ का वन्य प्राणी स्वस्थ एवं प्राकृतिक विकास कर रहा है जो अच्छे इको सिस्टम का संकेत देता है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

न्यायालयों में अनसुलझे मामलों की बढ़ती हुई संख्या

से वर्चित होने के समान हैं। कहावत को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि वे जनता के विश्वास को खत्म करती हैं और व्यक्तियों को समय पर न्याय से वर्चित करती हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद जैसे मामलों के लंबे समाधान ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है, जिसमें लगभग 70 साल लग गए। अदालतों में मामलों की विशाल मात्रा अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में बड़ी देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को खत्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से होतोत्सहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगमी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में निराशा और संदेह पैदा होता है, जिससे कुछ लोग वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की तलाश करने लगते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है। न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपयोग अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार

सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में रुपरुप लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें रुपरुप कई तुच्छ मुद्दों पर अपील में बंध हैं। सीमित कोर्ट रुपरुप स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधि की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं। मैन्युअल दस्तावेजीकरण और पुराने कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं। लंबित मामलों वैकल्पिक लॉग को कम करने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो। इसमें बढ़ते आवादों को समायोजित करने के लिए न्यायालय स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त सहायवक कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। मामलों को अधिक तेजी से ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी केंद्र प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित मामलों के समय पर समाधान तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनों की नियमितता समीक्षा और संशोधन अनिश्चितता को कम करने और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आवश्यक है। वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा वे

लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 स्थगन पर सख्त नियम लागू करता है। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य करके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता अधिनियम (2023) वाणिज्यिक और नागरिक विवादों में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर इसका समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अदालती लंबित मामलों को कम करना है। एक मजबूत लोकतंत्र न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण पर निर्भर करता है। न्यायिक देरी से निपटने के लिए, न्यायिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना, मौजूदा रिक्तियों को भरना, ऐआई-संचालित केस प्रबंधन को अपनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही को दूरदर्शी नीति ढाँचे के साथ जोड़कर, भारत की न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष, सुलभ और समय पर बन सकती है। यह आशा की जाती है कि सभी हितधारक-न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सरकारें और कानूनी पेशेवर-न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक, कानूनी और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हो। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन कानूनी प्रणाली में विश्वास बहाल करने और विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं। भारतीय न्यायपालिका मूल कारणों से निपट सकती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिनव समाधान लागू कर सकती है।

व्हाइट हाउस में महाभारत



'आतंकवादी' करार दिया। इस पर ट्रूप कुछ असहज हो गए, लेकिन उन्होंने जेलेस्की को रोका नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि दोनों दोनों पक्षों रूस और यूक्रेन के बीच घृणा का माहौल है। ऐसे में कूटनीति आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ओवल ऑफिस में उपराष्ट्रपति जडी वेंस और विदेश मंत्री माकाक्स रुबियो सहित दोनों देशों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंस ने जेलेस्की को समझने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रूप यूक्रेन को और तबाही से बचाने के लिए कूटनीति पहल कर रहे हैं।

करने लगे। इसका निष्कर्ष यह था कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन के साथ कृतनीति का रास्ता अपनाने बेमानी है। यह कथन अमेरिकी सरकार की यूक्रेनीति की सीधी आलोचना थी। यर्ही से व्हाइट हाउस में घमासान शुरू हुआ। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वैंस के कथनों पर टीका-टिप्पणी जारी रखी। उन्होंने जब वेंस से कहा कि तेज आवाज मत बोलिए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रौद्र रूप अखियार कर लिया। उन्होंने तीखी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि 'आप लाखों लोगों के जीवन रखिलवाड़ कर रहे हैं।' आप तीसरा विभ युद्ध शुरू करा जानेंगे।' उन्होंने पांच हजार रुपये का

रहा है। यदि हथियारों की आपूर्ति नहीं हो तो यूक्रेन कुछ ही दिनों में निपट जाएगा। वाक युद्ध के इस चरण में भी जेलेंस्की ने माहौल सामान्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पूरे प्रकरण में वेंस ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का अपमान कर रहे हैं। कूटनीति में ऐसे अवसर आते हैं जब नेताओं में आपस में नोक-झोक होती है, लेकिन ऐसा बंद करने की बातचीत में होता है। व्हाइट हाउस में यह सब कुछ दुनिया की मीडिया के सामने हुआ। अंत में ट्रंप ने मजाक में टिप्पणी की कि टेलीविजन के लिए अच्छी खबर बनी। लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की को सबक सिखाया। दुर्लभ खनिज के खनन के लिए हाने वाले समझाते के कार्यक्रम और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि जेलेंस्की से आगे बातचीत नहीं हो सकती। जेलेंस्की अगले कार्यक्रम के इंतजार में व्हाइट हाउस में बैठे रहे। इस पर प्रोटोकॉल अधिकारी ने उनसे कहा कि आप यहां से जा सकते हैं। दुनिया के सामने 'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले' कि युक्ति चरितार्थ हो गई। लेकिन बात जेलेंस्की को फटकार सुनाये जाने पर ही नहीं रुकती। यह यूक्रेन युद्ध को जारी रखने पर आमादा खंस, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों पर भी ट्रंप का प्रहार है। अमेरिका के टटश्य होने पर यूरोपीय देशों के लिए संभव नहीं है कि वह युद्ध को लंबे समय तक जारी रख सके।

तथ्यीर में देखू टाटा
स्टील कर संस्थापक
दिवस कर पूर्ब संघ्या

जमशेदपुर।
टाटा स्टील 3 मार्च के आपन संस्थापक जमशेदजी
नसरवानजी टाटा कर 186वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनावी। ई बछर
कर संस्थापक दिवस कर थीम बाजार, तकनीक आउर लागत में नेतृत्व हय, जो
हमिन कर ग्राहक कर आवसकता के सर्वोपरि राखेक आउर बैश्विक लागत नेतृत्व
हासिल करेक ले तकनीक कर प्रभावी उपयोग कर प्रति हमिन कर प्रतिष्ठित
के दोहरायेला। संस्थापक दिवस कर पूर्ण संध्या घेयरमैन, सीईओ आउर
एमडी श्रद्धांजलि अर्पित करलय। जुबली पार्क में सजावट
करल गेलक।



ਕੁਮੀ ਸਮਾਜ ਪੇਸਾ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਰਵੇ ਮਕਿਲ ਸਤਬਕਾਰ ਰਖਾਲ ਰਾਖਾਲ ਜਾਏ

- ट्राइबल स्टडी सेंटर विकास में पेसा कानून उपरे बैठकी होलक आयोजित



रांची। महाराजा मदरा मुंडा व्याख्यानमाला कर अंतर्गत ट्राइबल स्टडी सेंटर विकास भारती बिशुनुपुर में पेसा कानून 1996 उपरे बैठकी आयोजित करल गेलक। इकर में ढेरे छेतर कर गनमान्य अदभीमन जे पेसा कानून इया पंचायत कर संगे काम करे लागल हयं, उनकर बिचार आमंत्रित करल गेलक। आदिवासी छात्र संघ कर मुध संयोजक डॉ जलशेवर भगत पंचायत कर उपबंध उपरे तकनीकी रूप से प्रकास डाललयं।

पेसा कर संदर्भ में महाराष्ट्र कर नोटिफिकेशन कर हवाला देते डॉ भगत कहलयं कि पेसा सासित राइज में झारखंड सउबसे मुसिकिल राइज आहे, काळे कि हियां जुदा-जुदा सम्मुदाय कर जुदा-जुदा निहितार्थ आहे। एहे चलत नियम कर नई होते भी झारखंड में स्मार्ट स्टीरी कर अवधारना उपरे काम होवे लाइग हे, जेकर में 281 गो अनुसूचित छेत्र कर गांव के विलोपित करल जायेक हय।
डॉ भगत जोर देते कहलयं कि पेसा कानून कर धारा 4(एम) आउर

4(0) में जनजातीय बेबस्था स्पस्ट रूप से देवल हय। सेले उकरे अनुरूप उपवंध कर बिस्तार ले जे 22 सदस्यीय कमिटी बड़न रहे जेकर अहम सदस्य शिवू सोरेन भी रहयं, उके माइन लेवेक चाही। आईएसडीजी कर मुखिया देवाशीष मिश्रा कहलयं कि सरकार में विभिन्न अस्तर में झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम आउर पेसा कानून के लेइ के असमंजस कर इस्थिति बनल हेके। उनके कहलयं कि बर्तमान समय में जे प्रारूप चले लाइग हे, उकर में ग्राम सभा कर सक्ति सुन्य हाए चुइक हे। ग्राम सभा में वैधानिक सक्ति तो आहे, मदा सासकीय सक्ति नगन्य आहे।

इ भी कहलयं कि पंचायती राज वेबस्था कर बर्तमान प्रारूप बिसेस सभा कर बैधानिक बेबस्था बनेक में बाधक बनल हय। आदिवासी कुर्मी समाज कर दन वे बोलते मुकेश खंडरवार आउर वेकास कुमार महतो कहलयं कि कुर्मी समाज पेसा कर बिरोधी नस्बे, मुदा पेसा कर बेबहारिक क्रेयान्वयन में समाज कर सउबर्ना कर ख्याल राखल जायेक वाही। संगे, झारखंड कर मूलवासी कुर्मी समाज के भी उतनेहो बैधानिक सरछन मिलेक चाही जर्ड इ कि जनजाति समाज के मिलते आय है। काले कि आदिवासी मूलवासी जे अनुसूचित छेतर से बाहरे रहयाना,

भारत कर राष्ट्रपति द्वारा मान्यता देवल जाय है। इकर में अनुसूचित छेतर में रहेके वाला जनजाति कर समुदाय आउर मूलवासीमन के कानून कर सुरक्षा द्वल जाय है। पेसा कर प्रावधान सउब जाति बर्ग कर अदमी ले हय, जे झारखंड में प्रथागत तरीका से रहते आवत हयं। ई कानून कर लागू होवेक से विधायिका अन्य संस्था के घबरायेक कर आवस्कता नखे, काले कि ऊ पहिले कर लखे सरकार आउर सामाजिके वापर उपरे उस्तां।

समाज ल कान मरत रहवा है। पेसा कानून कर लागू होए जायेक से खली हियां कर रुद्धिवादी बेबस्था आउर समुदाय सरकार कर संगे कार्जकरम कर निरमान आउर उकर क्रियान्वयन में सीधा-सीधा भागीदार होए जाबयं, जेकर से सरकार आउर संसाधन कर सीधा लाभ झारखंड कर सउब बर्ग तक पहुंचे पारी। कार्जकरम कर अध्यछता करते ट्राइबल स्टडी सेंटर कर निदेसक डॉ प्रदीप मुंडा कहलयं कि बैठकी कर उद्देस पेसा कर इस्थिति के स्पष्ट करेक हय। ऊ कहलयं कि सरकार में सछम अदमीमन कर माध्यम से ई बात के राखल जाई। पेसा कानून कर लागू होवेक वाला देरी के खत्म करेक कर प्रयास करल जाई।

झारखंड राज्य घासी समाज संघ कर बैठकी संपन्न, केन्द्रीय अध्यष्ठ कहलयं

घासी समाज के सिधा उपरे ध्येयान देवेक कर आवसकता

सोनू सपवार

रांची। झारखण्ड राज्य घासी समाज संघ कर बैठकी ऑक्सीजन पार्क मोरहाबादी में डॉ. रीझु नायक कर अध्यछता में आइज संपन्न होलक। बैठकी में संगठन वे मजबूत बनायेक, सदस्यत अभियान चलायेक, जिला आउ परखण्डावार अभियान चलायेक का निरनय लेवल गेलक। मौका गं सामाजिक, राजनितिक, सैनिकिक आर्थिक आउर सांस्कृतिक रूप से समाज कर अदमीमन के सप्तक्रम

बनायेक उपरे गहन विचार मंथन करल गेलक। सर्वसम्मति से ९ मार्च के संघ द्वारा फगुणा मिलन समारोह मनायेक कर निरनय लेवल गेलक। डॉ. रीझु नायक कहलयं कि धासी समाज के सिंधा उपरे धेयान देवेक कर आवसकता होके। सिंछित बैंकित ही समाज के विकास कर मुख्यधारा में लाइन सकेला। विनिता पाठक नायक कहलयं कि आधा आबादी के बेसी से बेसी समाज में जोड़ के संगठन के मजबूत बनायेक हय। शांति देवी कहलयं कि सहर से गाँव कर प्रबुद्ध जन कर संगे मिल के चलेक कर जरूरत आहे। संदीप टाइगर कहलयं कि जुवा ही इतिहास बनायंना, सेले जुवामन के आगे आवेक कर जरूरत आहे। संचालन अधिवक्ता सोनी नायक आउर धन्यवाद डॉ. इन्द्रजीत नायक करलयं। बैंकी में मुध रूप से मनोज कुमार नायक, किरण नायक, नामक मुकुल नायक, विनिता पाठक नायक, मुकेश नायक आउर सुरेश नायक सामिल रहयं।



धूमधाम से संपन्न होलक 17 किमी कर खाटू श्री शुयाम ध्वजा निसान पदयात्रा



२ श्री श्याम प्रभु कर जीवंत
झांकी मुध आकरसन कर
यंची। श्री श्याम ध्वजा पद
तमिति कर तत्वावधान में ने
विकास से निजी मंदिर खाटू श
नी हरमू रोड ले श्री श्याम प्रभु
वजा निसान पदयात्रा धूमधारा
२ मार्च के निकललक। नैवरी
श्री दुर्गा मंदिर में बिहाने ४
विधिवत पूजा अर्चन कर संगे
श्याम निसान पदयात्रा कर सुभ
इलक। चाइरों दने श्री श्याम
नयकारा आउर भक्त कर
में श्री श्याम प्रभु कर ध्वज
कर संगे प्रवाहित होवत भक्ति
आउर सुगंधित फूल से अल
देवरथ में बिराजमान श्री श
प्रभु कर मनोहरी छवि कर
झांकी कर अद्भुत नजारा सुब
— — — — —

श्याम भक्त बाबा कर ध्वजा आपने कंधा में उठाय के नाचते- झूमते 17 किलोमीटर ई जात्रा में सामिल होए के आपने आप मैं बाबा कर कृपा अनुभव करत रहये। खाटू धाम कर परंपरा कर अनुसार 17 किलोमीटर कर ई अनुपम पदजात्रा मे चलके वाला श्याम भक्तमन कर पूरा डहरा मैं जगह-जगह रांची कर बिभिन्न सामाजिक आउर धार्मिक संस्थाएँ रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन, अग्रवाल सभा, अग्रवाल युवासभा, मारवाड़ी यवा मंच, मारवाड़ी

सहायक समिति, गौ सेवा समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जीण माता सेवा संघ, सगे कतई संगठनमन विसाल सोभा जात्रा कर सोबागत कइर के सेवा सिंबिर कर आयोजन करलयं।

श्री श्याम का ध्वजा पदजात्रा नेवरी से सुरु होए नगर कर प्रमुख मार्ग बृटी मोड़, बरियातु रोड़, सर्कुलर रोड़, कच्छरी रोड़, मेन रोड़, अपर बाजार भ्रमन करते श्री खाटू श्री श्याम मंदिर हरमू रोड़ मे ध्वजा निसान अर्पित कर संगे सिरलक।

मुद्रक व प्रकाशक नीलम सिंह द्वारा झारखंड बनिता उद्योग एसएचजी के लिए श्याम नगर, गांधी नगर सीसीएल कॉलोनी डीएवी गांधी नगर स्कूल के पीछे, थाना गोदा, जिला-रांची, राज्य झारखंड-834008 से प्रकाशित एवं शिवा साई पब्लिकेश प्राइवेट लिमिटेड रातू, काठीटांड टेंडर बगीचा के नजदीक, एचपी पेट्रोल पंप, पोस्ट व थाना रातू, रांची, झारखंड-835222 में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित। आरएनआई पंजीयन संख्या. JHABIL/2023/86791, संपादक : नीलम सिंह, प्रबंध संपादक : कृशन गोपालका,

सलाहकार संपादक : रतन लाल अग्रवाल। फोन नंबर : 8210640230, 9934166306, ईमेल आइडी : jharkhandwanitaudyog@gmail.com